न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

वाद सं0 26/11 ई0 सी0 एक्ट
(धारा 6 (ए0) आवश्यक वस्तु अधिनियम)

आदेश

राज्य सरकार

आवेदक

बनाम

1) मो0 मुस्ताक पिता–मो0 मुंशी सा0–बजबज तारातला, डी0एन0 धोष रोड, थाना बजबज, जिल–24 परगना कोलकाता
2) संजय धात पिता–बाबुल धात सा0–राधामोहन रोड, न्यू अलीपुर, थाना–न्यू अलीपुर हाट जिला–जलपाईगुड़ी (पं0 बं0)
3) तुषार गोस्वामी पिता–दुलालगोस्वामी सा0–माधुपारा, थाना–अलीपुरद्वार, जिला–जलपाईगुडी
4) जयप्रकाश भगत पिता–राजतन भगत सा0–गुलाबबाग, थाना सदर जिला–पूर्णियाँ
5) अमित कुमार उर्फ बबलू पिता–बशिष्ट नारायण चौधरी सा0–समस्तीपुर, थाना महेन्द्र, जिला खगडिया
6) रमेश गोगोई पिता–स्व0 बीरेंन्द्र गोगोई सा0–टेगाधाट, जिला–डिब्रूगढ (आसाम)
7) मो0 असगर पिता–स्व0 मो0 शफीक सा0–बेलगच्छी थाना–डगरुआ, जिला पूर्णियाँ
8) प्रेम यादव पिता–स्व0 रबियादव सा0–मोकरीबारी, थाना– अलीपुरद्वार, जिला–जलपाईगुडी
9) मुन्ना अली पिता–आसिद अली थाना–प्रेमधाट, जिला–डिब्रूगढ (आसाम)
10) मो0 कुदुस पिता–स्व0 जुल्फिकार सा0– गेहुवां थाना– डगरुआ, जिला पूर्णियाँ
11) अन्नु धोष पिता–स्व0 विपिन धोष सा0 बेलगच्छी थाना–डगरुआ, जिला पूर्णियाँ
12) नजरुल हक पिता–मिसिर अली सा0–रामपुर, थाना–अलीपुरद्वार (प0बं0)
13) दुलाल गोस्वामी पिता–रखाल गोस्वामी सा0–माधुपारा थाना अलीपुरद्वार (प0बं0)
14) मो0 मुस्ताक पिता–शेख इब्राहिम सा0– मोहन कुण्डा, थाना सदर, जिला –पूर्णियाँ

विपक्षीगण

उपरोक्त वाद सुनील कुमार सिंह थानाध्यक्ष सदर थाना पूर्णियाँ द्वारा दर्ज सदर थाना काण्ड सं0 292/10 (धारा 379/413/414/420/467/468/471/ भा0द0वि0 अन्तर्गत) में जप्त टैंकलोरी नं0 WB 39–9233, सूमो भिक्टा नं0 WB70A–6689 एवं 2500 लीटर कच्चा तेल को राजसात करने हेतु प्रारंभ किया गया।

विपक्षीगण को नोटिस दी गई कि वे कारण–पृच्छा दाखिल करे कि क्यो नही जप्त सामान को अधिग्रहीत कर लिया जाय एवं राशि को कोषागार में जमा कर दी जाय?

विपक्षी सं0 1,3,4,9,10,11,12,13 एवं टैंकलोरी मालिक न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण–पृच्छा दाखिल किया।

टैंकलोरी मालकिन श्रीमती किरण साव अपने पति गणेश प्रसाद साव को अपनी संपत्ति की देखभाल करने हेतु मुख्तारनामा लिख कर दी है। इस मुख्तारनामा के आधार पर गणेश प्रसाद साव द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 01.9.10

को 6 बजे शाम में टैंकलोरी को भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का डीजल लोड करने हेतु रंगापानी सिल्लिगुड़ी भेजा था। दिनांक 02.9.10 को टैंकलोरी चालक दोपहर में मालदह (प0बं0) में पहुँचने की सूचना दी।उसके वाद से टैंकलोरी की किसी प्रकार की सूचना नही मिलने पर दिनांक 03.9.11 को उसनें नाजिरगंज थाना जिला हावड़ा (प0बं0) में टैंकलोरी के गुम होने की सूचना दर्ज कराया। (सूचना की छाया प्रति संलग्न) दिनांक 11.9.10 को दूसरे गाड़ी चालक से ज्ञात हुआ कि टैंकलोरी सदर थाना पूर्णियाँ में जप्त कर रखा हुआ है। टैंकलोरी चालक फरार है और इन धटनाओ के पीछे चालक की संलिप्तता है न कि टैंकलोरी मालिक का।

सूमो भिक्टा के मालिक एवं चालक दोनो पिता पुत्र है और इस काण्ड में विपक्षी सं0 3 एव 13 पर दोनों का नाम दर्ज है । सूमो भिक्टा के चालक का कथन है कि वे अपने संबंधी को लेकर डगरुआ आए थे और संबंधी को पहुँचाकर लौटने के क्रम में सड़क किनारे लाईन होटल के पास गाड़ी खड़ाकर होटल में बैठे हुए थे। संदेह के आधार पर पुलिस द्वारा उसकी गाड़ी को पकड़ा गया।

टैंकलोरी एवं सूमों भिक्टा के मालिक द्वारा उल्लेख किया गया है कि यह वाद आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत प्रारंभ नहीं की गई है और धारा 6 'A' E.C.Act उरोक्त स्थिति में निर्वहन योग्य नहीं है। इस संबंध में गाड़ी मालिक की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमीनल अपील नं0 659/2007 कैलाश प्रसाद यादव वनाम झारखंड सरकार में पारित आदेश की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई है।

वाद की सुनवाई के क्रम में सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त घटना में दोषी गाड़ी का चालक है। अतः ऐसी स्थिति में टैंकलोरी एवं सूमो भिक्टा को सशर्त्त मुक्त किया जा सकता है।

दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त टैंकलोरी एवं सूमों भिक्टा के मालिको की संलिप्तता परिलक्षित नहीं होती है तथा जप्त गाड़ी पर मालिको का दावा सही है।

उपरोक्त परिस्थिति में आदेश दिया जाता है कि जप्त टैंकलोरी नं0 WB 39–9233 को पाँच लाख रुपये के बंध पत्र एवं सूमो भिक्टा नं0 WB 70 A 6689 को तीन लाख रुपये के बंधपत्र पर मुक्त करें तथा जप्त कच्चा तेल को अधिगृहीत कर बिक्री राशि को कोषागार में जमा कर दिया जाय। अनमंडल पदाधिकारी, सदर को आदेश दिया जाता है कि किन्हीं विभागीय पदाधिकारी के माध्यम से जप्त कच्चा तेल को बिक्री करवाकर बिक्री राशि सरकारी खजाने में जमा कर सूचित करें।

इसके साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ।

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ।